दिनांकः 10.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.06.2024. को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर **अभियुक्त सिध्दार्थ उर्फ सिध्दू पुत्र मिठ्ठनलाल नि0 न्यु लक्ष्मीपुरम गलीरा रोड थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर** को घोडा कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर **मु0अ0सं0 324/2024 धारा 4/25 आर्मस एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि जो चाकू पुलिस द्वारा मुझसे बरामद किया गया है उसे मैं रोब गालिब करने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सिध्दार्थ उर्फ सिध्दू पुत्र मिठ्ठनलाल निवासी न्यु लक्ष्मीपुरम गलीरा रोड थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 254/24 धारा 380/427/511 भादवि0 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण –

01 नाजायज चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. .हे0का0 714 नितिन थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. हे0का0 680 भूपेन्द्र थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
4. का0 1340 पुष्पेन्द्र थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।

दिनांकः 10.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.04.2024 को वादी ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मोनू सैनी पुत्र श्री दर्शनलाल निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ घर में घुसकर छेडछाड व अश्लील हरकत करने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 242/24 धारा 452/354(क) भादवि0 व 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(2)(5ए) एससी एसटी एक्ट पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ने उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिल टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मोनू सैनी पुत्र श्री दर्शनलाल नि0 ग्राम मनोहरपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर को काशीराम बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोनू सैनी पुत्र श्री दर्शनलाल नि0 ग्राम मनोहरपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर.

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 अशोक कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2.है0का0 484 रामकुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3.का0 2486 जितेन्द्र कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

दिनांक:10-06-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बड़गांव पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बडगांव के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त वेदपाल उर्फ बेदू पुत्र रामचन्दर निवासी ग्राम चन्दपुर थाना बड़गांव जिला सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0स0 201/2000 वाद न0 741/19 , धारा 4/25 शस्त्र अधि0, मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सहारनपुर को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

वेदपाल उर्फ बेदू पुत्र रामचन्दर नि0ग्रा0 चन्दपुर थाना बड़गांव जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. उ०नि० श्री भारत सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 बनवारीलाल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 शहरोज आलम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांक:10-06-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.6.2024 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त मौ0 अहमद पुत्र मौ0 फाजिल निवासी मौ0 रायवाला थाना मण्डी सहारनपुर संबंधित वाद सं0 730/2024 मु0अ0सं0 141/1999 धारा 379/411 भादवि को उसके घस से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौ0 अहमद पुत्र मौ0 फाजिल निवासी मौ0 रायवाला थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0 नि0 प्रवेज कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का0 294 मौ0 राशिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक:10-06-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट,सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त (01 फावड़े का बैंटा) बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 06.06.2024 को वादिया अनिता पुण्डीर पुत्री सुरेशपाल निवासी ग्राम मजरा भोजेवाला थाना बेहट जिला सहारनपुर की ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. सुशील पुत्र शीषपाल 2. प्रशान्त पुत्र सुशील 3. रुपक पुत्र सुशील 4. गौरव पुत्र संजय 5. बाला पुत्र मदन 6. सन्नी पुत्र रमेश 7. लील्ला पुत्र संजय 8. शुभम पुत्र संजय निवासीगण ग्राम भोजेवाला थाना बेहट जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया के पिता सुरेशपाल व वादिया के भाई उधम सिंह उर्फ कृष्णा पर जान लेवा हमला कर मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 168/24 धारा 147/323/352/325 भादवि पंजीकृत कराया गया। जिसमे दौराने इलाज वादिया के भाई कृष्णा उर्फ ऊधम सिंह की मृत्यू हो जाने के कारण मुकदमा उपरोक्त मे धारा 149/302 भादवि की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ने उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वान्छित अभियुक्त सुशील उर्फ भोटू पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम भोजेवाला थाना बेहट सहारनपुर को बेहट बस अड्डा के पास से गिरफ्तार किया गया।अभियुक्त की निंशादेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल (फावडे का बैटा) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त सुशील उर्फ भोट्टू ने बताया कि मेरा और सुरेश जो कि रिशते में मेरे ताऊ जी का बेटा हैं का खेत पास पास, हैं हम दोनो के खेतो की डोल एक ही हैं। सुरेश अक्सर मेरे खेत की मैड को काटता रहता हैं और मेड के पास लगे पेडो को काटता रहता हैं। दिनांक 04.06.2024 को जब मैं अपने खेत पर गया तो सुरेश और उसका लडका कृष्णा पुण्डीर उर्फ उधम सिंह मेरे खेत की मेड पर लगे पेडो को काट रहे थे। तभी मैंने फोन करने गांव से सौरभ उर्फ लिल्ला ,बाल्ला उर्फ बलराम,अपने साथ कई लोगो को बुलाया लिया। हम लोगो ने सुरेश व कृष्वीर से खोत की मेड पर लगे पेड़ काटने के लिये मना किया तो वो गाली गलौच करने लगे। तभी मैंने व मेरे अन्य साथियों ने क्रोध में आकर उनके साथ लाठी डण्डे से मारपीट करने लगे। मैंन जान से मारने की नीयत से कृष्णवीर के सर पर डण्डे से हमला कर दिया जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गये। हम उन्हे मरा समझकर वहाँ से भाग गये थे। मेरे हाथ में उस दिन एक लकडी का बैंटा था जिसे मैंने भागते समय खेत के पास ही छुपा दिया था जिसे मैंने आज पुलिस को बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

सुशील उर्फ भोटू पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम भोजेवाला थाना बेहट सहारनपुर

बरामदगी -

- 01 फावडे का बैंटा (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-:

1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

2. निरी0 श्री सुरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

3.उ0नि0 श्री बलराम सिंह थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर

4. है0का0 521 सुनील राणा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर

5. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर

दिनांक:10-06-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे वारण्टी अभियुक्त मुबारिक पुत्र कुरबान नि0 मौ0 हामिद हसन कस्बा थाना चिलकाना सहारनपुर वाद संख्या- 2524/2023 धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर को आज दिनांक 10.06.2024 को मौ0 हामिद हसन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-:

मुबारिक पुत्र कुरबान नि0 मौ0 हामिद हसन कस्बा थाना चिलकाना सहारनपुर।

आपराधिक इतिहासः-

वाद संख्या- 2524/2023 धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।

मु0अ0सं0- 552/2020 धारा—8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 246 हेमन्त कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांकः 10.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नानौता श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.06.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा एक वारण्टी मांगेराम पुत्र पिरथी निवासी ग्राम औलरा थाना नानौता जिला सहारनपुर संबंधित वाद सं0 68/22 मु0अ0सं0 196/18 धारा 60 आब0 अधि0 चालानी थाना नानौता माननीय न्यायिक अपर सिविल जज (जू0डी0)जे0एम0 देवबंद सहारनपुर को ग्राम औलरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पताः-

मांगेराम पुत्र पिरथी निवासी ग्राम औलरा थाना नानौता जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 नीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0/यूटी कृष्ण कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा घण्टे में किया गया गिरफ्तार 01 शातिर चोर को मात्र 01, कब्जे से चोरी किये गये आर्टिफिशियल जेवर, 1500/- रूपये नगद व नाजायज चाकू 01 बरामद।

अवगत कराना है कि दि0 10.06.2024 को वादी मुबारिक अली उर्फ कालू पुत्र अब्दुल हक निवासी मौ0 महल नई बस्ती कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त आबिद पुत्र इदरीश नि मौ0 महल थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के घर मे घुसकर वादी की पत्नी का पर्श जिसमे 1500 रूपये कुछ बनावटी जेवर व कुछ कागजातो की छाया प्रति चोरी कर ले जाने से सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 187 /24 धारा 380 भादंवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं सामान की बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 10.06.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त आबिद पुत्र इदरीश निवासी मौ0 महल थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को अरबन इन्क्लैब मोड बाईपास रोड़ रामपुर मनिहारान गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। अभियुक्त से बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादंवि व 4/25 शस्त्र अधि0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मै मौ0 महल थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर का रहने वाला हूँ मै नशे का आदी हूँ मै नशा करने व खर्चे के लिये चोरी करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आबिद पुत्र इदरीश निवासी मौ0 महल थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 नाजायज चाकू
- 01 गले का नेकलेस (आर्टिफिशियल)
- 01 बालो का क्लिप (आर्टिफिशियल)
- 01 गले का हार (आर्टिफिशियल)
- 01 टिका माथे का (आर्टिफिशियल)
- 01 हाथ की कलाई (आर्टिफिशियल)
- 1 सेट कानो की झुमकी (आर्टिफिशियल)
- 1500/- रूपये नकद

आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 97/24 धारा 3/5/25 शस्त्र अधि0 थाना रामपुर मनि0

मु0अ0स0 189/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना रामपुर मनि0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 श्री अमित कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

2. उप नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

3. है0का0 807 रविन्द्र कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

4. का0 2049 ब्रजेश कुमार थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

दिनांक: 10.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा शातिर शराब तस्कर 01 गिरफ्तार, कब्जे से बोतल 16 अवैध देशी शराब बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध मादक पदार्थ/शराब की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.06.2024 को थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त संगम धीमान पुत्र रामू धीमान निवासी सुन्दरपुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर को ग्राम खुशहालीपुर नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 16 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 89/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अभियुक्त संगम धीमान पुत्र रामू धीमान निवासी सुन्दरपुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

16 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अशोक तेवतिया थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर।
2. है0का0 745 दीपक मावी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
3. का0 2014 राहुल कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 10.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा शातिर चोर 01 गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये गेहू के कट्टे 02 बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 10.06.2024 को वादी श्री आशीष आर्य पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम हरपाल थाना नकुड जिला सहारनपुर द्वारा थाना सरसावा पर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्त द्वारा ज्ञानदीप वैदिक गुरूकुल स्कूल सौराना के रसोई से दो गेहू के कट्टे चोरी करने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 0132/2024 धारा 380 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10/06/2024 को पुलिस टीम द्वारा विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्त आशू उर्फ आश मौहम्मद पुत्र मोबीन निवासी मौ0 हजारा कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आशू उर्फ आश मौहम्मद पुत्र मोबीन निवासी मौ0 हजारा कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 0132/2024 धारा 380/411 भा0द0वि0 चालानी थाना थाना सरसावा सहारनपुर।

2.मु0अ0स0 381/21 धारा 411, 414, 465, 471 भादवि चालानी थाना सरसावा सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 राजीव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. का0 2246 लोकेश कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।

दिनांक: 10.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा चोरी का वांछित अभियुक्त 01गिरफ्तार, कब्जे से नाजायज छुरी 01 बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 28.05.2024 को वादी श्री नवनीत गर्ग पुत्र सुन्दर लाल गर्ग निवासी कस्बा सरसावा सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तों द्वारा वादी के गोदाम से तेल के टीन व पर्स चोरी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 0124/2024 धारा 380/411 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10/06/2024 को पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त फरमान पुत्र फरीद निवासी मौहल्ला हजारा कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैने अपने साथियो जितेन्द्र तथा दिलीप के साथ मिलकर लालाजी के गोदाम के पीछे सीढी से चढकर तीन टीन तेल के चोरी किये थे। आवाज होने पर जितेन्द्र व दिलीप उपरोक्त को मौके पर ही तीन टीन तेल के साथ पकड़ लिया तथा मैं मौके से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फरमान पुत्र फरीद निवासी मौहल्ला हजारा कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः -

- 01 नाजायज चाकू

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः -

1.मु0अ0सं0 0124/2024 धारा 380/411 भा0द0वि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना थाना सरसावा सहारनपुर
2.मु0अ0स0 28/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना सरसावा सहारनपुर
3.मु0अ0स0 15/23 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना सरसावा सहारनपुर
4. मु0अ0स0 29/23 धारा 63 आबकारी अधि0 चालानी थाना सरसावा सहारनपुर
5. मु0अ0स0 264/20 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना सरसावा सहारनपुर
6. मु0अ0स0 15/23 धारा 60 आबकारी अधि0 भादवि चालानी थाना सरसावा सहारनपुर
7. मु0अ0स0 404/17 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414, 420, 467, 471 भादवि चालानी थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 राजीव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. का0 2256 प्रेम कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।
3. का0 2423 मनमोहन सिंह थाना सरसावा सहारनपुर।

दिनांक:10-06-2024

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा 03 अभियुक्तों को 05 वर्ष का कारावास व 51 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 15.06.2012 को वादी श्री रामचन्द पुत्र सुगनचन्द नि0 बहेडी गुर्जर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर के साथ अभियुक्त 1-अजीत पुत्र वीर सिंह 2-वीर सिंह पुत्र मंगतसिंह 3-विनोद पुत्र मंगत)-मृत्यु (4-कुलतार पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण बहेडी गुर्जर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के परिवार जनों को गालीगलोच करना मार-पीट कर घायल करने की सूचना पर मु0अ0स0-157/2012 धारा 324,504,307,429,506 भादवि थाना गागलहेडी पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 07/2013 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 10.6.2024 को अभियुक्त अजीत पुत्र वीर सिंह 2-वीर सिंह पुत्र मंगतसिंह 3-कुलतार पुत्र ओमप्रकाश को मु0अ0स0-157/2012 धारा 324,504,307,429,506 भादवि का दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष की सजा व 51 हजार रू0 से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता ए)0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक उनि0 राजपाल सिंह
पैरोकार का0 1360 रजनीश तोमर थाना गागहेडी जनपद सहारनपुर